राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनाक	निर्णय दिनांक
152/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	17.10.2019	29.01.2021

उनवान सरकार बनाम राजविजेन्द पुत्र झुथाराम जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का भालोठ ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वाके ग्राम भालोठ की राजकीय भूमि ख0न0 1291/568 कुल रकबा 0.0144 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.0144 है0 भूमि पर अतिक्रमी राजविजेन्द पुत्र झुथाराम जाति जाट निवासी भालोठ ने अवैध रूप से टीनशैड बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया। जिसका गहनता से मनन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में टीनशैड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से टीनशैड बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 8.64/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.12 की 50 गुणा जुर्माना राशि 6.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
(भागीरथी भूमिया)
तहसीलदार बुहाना

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 88
पर 6/- की मांग दर्ज की गई।

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना

Scanned with CamScanner